"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 404] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 सितम्बर 2013— भाद्र 14, शक 1935

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-4/2013/13/1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विद्युत निरीक्षकालय राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों अनुसूची में :-

अनुसूची-तीन के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावें, अर्थात् :-

"अनुसूची-तीन"
(नियम-8 देखिये)

विभाग का नाम (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	उच्चतम आयु सीमा (4)	शैक्षणिक अर्हतायें (5)	टिप्पणियां (6)
ऊर्जा विभाग	सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	21	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से समकक्ष अर्हता.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				प्राथमिकता :- विद्युत इंजीनियरिंग के व्यवसाय में 3 वर्ष का अधिकारी के स्तर का अनुभव ऐसे प्रतिष्ठानों का जो कम से कम 500 अश्व शक्ति की मोटर का उपयोग करता हो और या उच्च विभव (हाइटेंशन) उपभोक्ता हो.	

टीप :- "छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-4/2007/13/1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05-09-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, उप-सचिव.

New Raipur, the 5th September 2013

NOTIFICATION

No. F 1-4/2007/13/1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Aricle 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Electrical Inspectorate (Gazetted) Recruitment Rule, 2008, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said rules :-

For Schedule-III, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-III"
(See Rule 8)

Name of the Department (1)	Name of Service (2)	Minimum Age Limit (3)	Maximum Age Limit (4)	Educational Qualification (5)	Remark (6)
Energy Department	Assistant Engineer (E. S.) and Assistant Electrical Inspector	21	30	Bachelor in Electrical Engineering from any recognized University	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				or its Equivalent from a recognized University or Institution. Priority :- 3 years experience in the practice of Electrical Engineering as an Officer for the such installations which is using motors of not less than 500 H. P. or is a H. T. consumer.	

Note :- "The upper age limit for the domicile candidates of the State of Chhattisgarh shall be relaxable by the direction issued by the General Administrative Department from time to time."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
UMESH KUMAR AGRAWAL, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.